



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-09.05.2024

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता में एन.डी.पी.एस. एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय उठने तक व 1000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-049/2011 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त दोष मोहम्मद पुत्र सिजाउद्दीन निवासी धन्नीपुर नई बस्ती थाना लोहता जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-08.05.2024 को माननीय न्यायालय ACJM-06 वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त दोष मोहम्मद उपरोक्त को न्यायालय उठने तक व 1000/- रु0 अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।